न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 15/17

GCMS NO 2017/00002

1. हंसराज पुत्र हजारी
2. हनुमान पुत्र हजारी जातियान माली निवासीयान ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. भागचंद पुत्र ग्यारसा
2. लडडू पुत्र ग्यारसा (मृतक)

2/1. कैलाशी पत्नि स्व0लडडू जातियान मीना निवासीयान ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2/2. बादाम पुत्री स्व0लडडू पत्नि श्री प्रधान जाति मीना निवासी ग्राम गढोली जिला टोंक

2/3. कालीबाई पुत्री स्व0लडडू पत्नि बलराम जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोंक

3. ओमप्रकाश पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. रामपति पत्नि ओमप्रकाश जाति मीना निवासी रांवल तहसील व जिला सवांई माधोपुर
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. रामखिलाडी पुत्र लडडू
7. बन्टी पुत्र लडडू जातियान मीना निवासीयान ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. प्रदीप पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. केशव पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. नमोनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण जातियान मीना निवासीयान ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 55/16 निर्णय दिनांक 7.2.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री भोलाशंकर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री भंवर सिह जादौन

दिनांक 25.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 7.2.17 न्यायालय [illegible] जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्याया[illegible] अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए[illegible] खसरा ख0न0 [illegible]8/3 रकबा 5 बीघा ग्राम रांवल तहसील सवाई माधोपुर [illegible] के पिता हजारी [illegible]हडकया को आवंटित हुई थी। जिस पर आवंटन के समय से ही निरन्तर कब्जा चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। जिसके नये ख0न0 सेटलमेंट ने 299/4097 रकबा 1.25 है0 कायम किये है। अप्रार्थीगण लठैत किस्म के व्यक्ति है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी को हडपने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के उपरोक्त कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नही करे, ना ही प्रार्थीगण को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नही करे। वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 299/4097 रकबा 1.25 है0 ग्राम रांवल तहसील सवाई माधोपुर के बाबत तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख0न0 299/4135 रकबा 1.25 है0, 299/4096 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रांवल जो कि अप्रार्थी संख्या 1,2, 4 व 5 की खातेदारी की आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण बाधा उत्पन्न करते है इसके बाबत प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे अप्रार्थीगण की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अप्रार्थीगण द्वारा जरिये काउन्टर क्लेम के चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अपीलांट/प्रार्थीगण की आराजी मे ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजीयात ख0न0 299/4135 रकबा 1.25 है0, 299/4096 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रांवल मे किसी प्रकार के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने के लिए ताफैसला दावा प्रार्थीगण को पाबन्द किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश देने से पूर्व पत्रावली का विधि पूर्वक अवलोकन नही किया है। कतई विधि विरूद्व आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र 212(2) आर टी एक्ट पेश कर अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी साबिक ख0न0 548/3 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 299/4097 रकबा 1.25 है0 वाके गाम रांवल मे तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। क्योकि रेस्पो0 अपीलांट की विवादित भूमि मे काश्त करने नही दे रहे है एवं जबरदस्ती हर वर्ष फसल को काटकर ले जाते है। विवादित आराजी को वेस्ट व डेमेज करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने 212 (2) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के स्थान पर 212 आर टी एक्ट को आदेश पारित कर दिया। जबकि 212 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र तो अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ही नही किया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्लीडिंग के विपरीत आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में रिसीवर कायम करने हेतु निवेदन किया गया था क्योकि अपीलांट अपनी आराजी मे से कोई लाभ प्राप्त नही कर पा रहे थे क्योकि रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

लठैत है एवं हर वर्ष अपीलांट की काश्त शुदा फसल को काटकर ले जाते है जिसकी पुलिस कार्यवाही अपीलांट द्वारा हर वर्ष की जाती है। इस वर्ष भी अपीलांट की उक्त आराजी पर काश्त शुदा फसल सरसो को दिनांक 18.2.17 को रेस्पो0 ने काट ली जिसकी लिखित शिकायत दिनांक 21.2.17 को थानाधिकारी थाना कोतवाली को दी गई। जो यह साबित करता है कि विवादित आराजीयात बिना रिसीवर कायम किये अपीलांट के अधिकार सुरक्षित नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का 212 (2) का प्रार्थना पत्र ना तो स्वीकार किया है ना ही खारिज किया है बल्कि तहत धारा 212 आर टी एक्ट रेस्पो0 को पाबन्द करने का आदेश कर दिया जो निवेदन अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे किया ही नही। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र था ना कि रेस्पो0 को पाबन्द कराने का। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली देखे अपनी मर्जी से विधि विरुद्व आदेश पारित किया है। रेस्पो0 लठैत किस्म के लोग है जो दादागीरी के बल पर अपीलांट की भूमि से लाभ प्राप्त नही करने दे रहे है। लिहाजा अपीलांट के पास विवादित भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर करने के अलावा अन्य कोई चारा उपलब्ध नही है। अन्यथा ऐसी स्थिति मे तो रेस्पो0 किसी भी सूरत मे विवादित भूमि से अपीलांट को लाभ नही लेने देगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल्लीगल,इम्प्रोपर होने से निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) आर टी एक्ट सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात ख0न0 299/4097 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रांवल तहसील सवाई माधोपुर मे तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आरजीयात ख0न0 548/3 रकबा 5 बीघा पर अपीलांट/प्रार्थीगण के पिता हजारी का कभी कब्जा नही रहा है तथा उनके द्वारा उक्त आराजी को कभी काश्त नही किया है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे पडत पडी हुई है। उक्त भूमि उपजाऊ नही है भूमि बंजड होने से खाली पडी हुई है। आराजीयात खसरा न0 299/4096 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रांवल रामपति पत्नि ओमप्रकाश जाति मीना निवासी रांवल हिस्सा 1/4 तथा भागचंद पुत्र ग्यारसा मीना निवासी रांवल हिस्सा 1/4 तथा लडडू पुत्र ग्यारसा जाति मीना हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कि रेस्पो0 अपनी आराजीयात पर गये एवं लठठ के जोर पर बेदखल करने पर आमादा हो गये एकदम झूठा एवं मनगढन्त है। क्योकि इस प्रकार की कोई घटना या वारदात घटित ही नही हुई। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी गई। उपरोक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही प्रार्थीगण/अपीलांट का कब्जा नही रहा है ना ही कभी काश्त की गई है। उपरोक्त भूमि आज भी बंजड पडी हुई है। उपरोक्त भूमि से रेस्पो0 का कोई लेना देना नही है। आराजी साबिक ख0न0 548/1 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 299/4096 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रांवल लडडू पुत्र ग्यारसा को दिनांक 26.10.75 को [illegible] जब से उपरोक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि मे से 1 [illegible] हि[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 लडडू ने रामपति पत्नि ओमप्रकाश को जरिये विक्रय [illegible] 814 दिनांक 5.6.14 को अप्रार्थी संख्या 4 के हक मे नामा0 खुल [illegible] कृषि भूमि ख0न0 299/4096 रकबा 1.25 है0 मे से लडडू ने 1/4 हिस्सा जरिये दान पत्र भ[illegible]द पुत्र ग्यारसा को दान दे दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसका नामा0 संख्या 826 दिनांक 5.7.14 को भागचंद के पक्ष मे खुल गया। इस प्रकार उक्त भूमि पर वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 , 4 तथा 5 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नही दी गई है ना ही उनकी आराजीयात से फसल काटकर ले जाने का प्रयास किया है क्योकि भूमि पडत है जिस पर किसी प्रकार की काश्त ही नही है तो किस प्रकार से फसल काट ली जावेगी। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन झूठा एवं निराधार है। बल्कि अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की आराजीयात मे जबरन मजाहमत की जाती है इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही एक दुसरे की भूमि मे मजाहमत नही करने बाबत उभयपक्ष को दावे के निस्तारण पर विधि अनुसार ही पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसके जबाब मे अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात के बाबत पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दाफैसला दावा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 299/4097 रकबा 2.25 है0 मे मजाहमत नही करने ना ही किसी अन्य से कराने तथा वेस्ट डमेंट व एलीमेंट नही करने हेतु पाबन्द किया गया है इसी अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को ताफैसला दावा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 299/4135 रकबा 1.25 है0 तथा 299/4096 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम रावंल के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबन्द करने के आदेश पारित किये गये है। विवादित आराजीयात के हक हकूको का निर्धारण दावे मे तय होना शेष है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता की स्थिति के मद्देनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अत:अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 55/16 मे पारित निर्णय दिनांक 7.2.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:51 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner